–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :–

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 131/2022

उनवान

ओमप्रकाश पुत्र रामदयाल जाति जाट निवासी ग्राम सनोद, नसीराबाद
—— प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. मंगला पुत्र भूरा
2. गोपाल पुत्र भैरू
3. रामधन पुत्र छीतर
4. गणेश पुत्र घीसा
5. मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक शाखा सनोद, नसीराबाद
6. मैनेजर आईसीआईसीआई बैंक शाखा देराठू
7. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :– 1 से 6 अनुपस्थित
7 जरियें राज. पैरोकार

8. मंगलचन्द पुत्र रामदयाल
9. महावीर पुत्र नन्दा
10. रामकिशन पुत्र नन्दा
11. रामगोपाल पुत्र नन्दा
12. शान्ति देवी पत्नी रामदयाल
13. सीता पुत्री रामदयाल
14. सोनी पुत्री नन्दा
15. बहादुर पुत्र भागचन्द पौत्र मिश्री समस्त जाति जाट निवासी ग्राम सनोद, नसीराबाद

—— प्रफोर्मा अप्रार्थीगण :– 8 से 15 अनुपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :– दिनांक :– 20.11.24

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सनोद के खाता संख्या 803/345 किता 35 रकबा 7.12 व खाता संख्या 691/665 किता 9 रकबा 1.56 की आराजी प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण की सहखातेदारी की है। अप्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार नही है। इसके बावजूद अप्रार्थीगण आराजी मुतनाजा पर जबरन अतिचार करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जावे की आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी के कब्जे में दखल नही करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 6 व 8 से 15 प्रकरण में अनुपस्थित, 7 जरियें पैरोकार ने प्रकरण में जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:06:59 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

प्रथम दृष्टया मामला :–

ग्राम सनोद के खाता संख्या 803/345 किता 35 रकबा 7.12 व खाता संख्या 691/665 किता 9 रकबा 1.56 की आराजी प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण की सहखातेदारी की है। अप्रार्थी संख्या 1 से 6 का उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार नही है। प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण बिना किसी अधिकार के उक्त आराजी पर दखलदांजी कर रहे है। अतः उन्हे पाबंद किया जावे। अप्रार्थीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है। प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व होता है।

2. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को हाने वाली क्षति को ध्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व होता है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थी सिद्व होता है।

3. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 से 6 का उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार नही है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को पाबंद नहीं किये जाने से अपूरणीय क्षति की संभावना प्रार्थी के पक्ष में होती है।

आदेश :– अतः ग्राम सनोद के खाता संख्या 803/345 किता 35 रकबा 7.12 व खाता संख्या 691/665 किता 9 रकबा 1.56 की आराजी पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 1 से 7 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक उक्त आराजी की मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनायें रखेंगे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:06:59 IST
Reason: SelfAttested